



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14583

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1734/2026

आवेदक: आशा देवी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक के वकील:

संतोष कुमार तिवारी

प्रतिवादी के वकील:

शासकीय अधिवक्ता, काली शंकर तिवारी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।

2. आवेदक के वकील श्री संतोष कुमार तिवारी, सूचक पक्ष के वकील श्री काली शंकर तिवारी तथा राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक अपराध संख्या 416/2025, धारा 190, 191(2), 191(3), 103(1), 351(3), 352, 333, 115(2), 3(5) बी.एन.एस., पुलिस थाना - पानीयारा, जिला - महाराजगंज, में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे गलत तरीके से मामले में जोड़ा गया है। उसके ऊपर उक्त अपराध का कोई संलग्न नहीं है। आवेदक सहित सात आरोपियों के विरुद्ध सामान्य और सर्वसमावेशी (ओम्निबस) आरोप लगाए गए हैं।
5. वकील ने आगे कहा कि मृतक को घातक चोट पहुँचाने की भूमिका सह-आरोपी उपेन्द्र कुमार को सौंपी गई है। मृतक को केवल एक चोट लगी, जो उसके लिए घातक साबित हुई। अतः, आवेदक का मामला सह-आरोपी उपेन्द्र कुमार के मुकाबले भिन्न स्थिति में है।
6. आवेदक के वकील ने यह भी कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 31.11.2025 से जेल में बंद है और सुनवाई में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. सूचक पक्ष और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया।
8. "निर्दोष होने का अनुमान जब तक दोष सिद्ध न हो" का सिद्धांत, जमानत को नियम और कारावास को अपवाद के रूप में देखने की अवधारणा देता है।
9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी प्राप्त जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, केवल इसलिए नहीं छिना जा सकता कि कोई व्यक्ति अपराध में आरोपी है, जब तक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि दोष सिद्ध न हो। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी छीनी जा सकती है जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया हो और वह प्रक्रिया न्यायसंगत एवं उचित हो। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 SCC 51 में दोहराया है।

10. सुप्रीम कोर्ट ने मनिष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 में भी इस दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि जमानत को सज़ा के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए। न्यायालयों को यह सिद्धांत मानने का समय आ गया है कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद है।”

11. अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोई भी विशेष परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं कीं जो आवेदक को जमानत देने से रोके।

12. मामले के तथ्य, पक्षकारों की दलीलें और अभिलेख, यह ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सहित सभी आरोपियों के विरुद्ध सामान्य और सर्वसमावेशी आरोप हैं तथा मृतक को घातक चोट पहुँचाने की भूमिका अन्य आरोपी को दी गई है, और मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के योग्य आधार प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. आवेदक - आशा देवी, जो उक्त मामले में संलग्न है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती न्यायालय की संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगी।
- iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगी।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन इस न्यायालय में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

15. बांड स्वीकार करने से पूर्व आवेदक और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जांच न्यायालय द्वारा की जाए।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

21 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।